

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
आचुकी बनाम रामकौरी
मु0नं0 54 / 2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

20.12.2021

अपीलांट की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई मय प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्वा किये जाने पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्वा किये जाने हेतु पेश कर प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित होने से अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपील को चलाना नहीं चाहने के कारण अपील को विद्वा कर दाखिल दफतर करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अपीलांटस् की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। अपीलांट द्वारा उनवानी प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील को विद्वा करने की अनुमति चाही गई है। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं बहस वकील अपीलांट के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील विद्वा किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपील विद्वा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार अपील अपीलांट निस्तारित की जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। आदेश सुनाया गया।

M
20/12/2021.
(बाबूलाल गोयल)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Noted
Harjendra
20/12/21